

कर बिना वही आइटम जारी रहना चाहिए और वह खर्च नहीं हो सकता।

श्री० राज बजौर सोहिवा : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का खर्च है। प्राप 369 नियम देखिए। 369 नियम में जो कुछ कागज सभा पटल पर रखे जाते हैं उन के बारे में प्रक्रिया बतायी गई है और उन के अनुसार मंत्री और सदस्य में कोई भ्रंतर नहीं रह जाता। जिस तरह से मंत्रियों के कागजों को प्राप दिन की सूची में घोषित करते हैं उसी तरह में जिन कागजों को, सदस्यों के कागजों को प्राप स्वीकार कर लेते हैं उन्हें भी दिन की सूची में घोषित किया करें। यह है प्रश्न। उस में फर्क नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए। यह घोषणा की जरूरत क्यों होगी है? क्योंकि वह छपते तो है नहीं। पुस्तकालय में उन को रख दिया जाता है। किसी को कुछ पता लग नहीं पाता है। अगर कार्य सूची में वह दर्ज कर दिए जाय तो लोगो को पता चल जायेगा कि कौन से कागज रखे गए और 369 बिल्कुल साफ है कि कोई भी कागज या दस्तावेज जो सदन के पटल पर रखा जायेगा वह जो कोई सदस्य रखना चाहे उस के हस्ताक्षर वगैरह ले कर के होगा और ऐसे जितने कागज और दस्तावेज सभा पटल पर रखे जायेंगे वे जनता की सम्पत्ति होंगे, उन कागज होंगे। सब जन कागज कर हो सकते हैं जब तक घोषणा नहीं है तो सब नकल बन कागज हो ही नहीं सकते। इसलिए उन की घोषणा जरूर होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि रखते ही घोषणा कर दीजिए। प्राप इतना ही कहिए। अगर प्राप उचित समझें कि उन को सदन की सम्पत्ति और जनता की सम्पत्ति समझा जाय तो प्राप घोषित कर दीजिए।

श्री. Speaker: Has he finished? He may please resume his seat.

श्री. भाग्य (Shri. Bagat): The Law Minister gets up in season and out of

season to come to the rescue of the Government, to say that what is being suggested is out of the four corners of the rule

श्री. Speaker: Please allow me to reply.

This point has just been raised without any notice, without anything. Should they not at least give time to the Speaker? They do not give any notice, but simply get up and say that as the Ministers are permitted to lay papers on the Table of the House, they should also be permitted to lay papers on the Table. This has not been the practice till now. A new practice is to be evolved now. Therefore, should they not give time to the Speaker to think about it, whether it is proper or not? We cannot simply make a new rule all of a sudden. Let me think about it.

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) rose—

श्री. Speaker: No, no I will call him, if I have any doubt.

SALAR JUNG MUSEUM (AMENDMENT) RULES, 1967

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): I beg to lay on the Table a copy of the Salar Jung Museum (Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 927 in Gazette of India dated the 17th June, 1967, under sub-section (3) of section 27 of the Salar Jung Museum Act, 1961. [Placed in Library, See No. LT-906/67].

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Sharma Shukla): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (3) of section 3 of the All India Services Act, 1951:—

- (1) The Indian Administrative Service (Probation) Second